

प्र. सं. 467/2022 Online No. 2022/643
 बहीलाल / रामेश्वर व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अनु हुक्म में
२४/०४/२३	पठावली पेशा हुयी। पाणी कापिवाला उपस्थित। विपकीयों अनुपस्थित विपकीयों को बार-बार भावार्थ लगाई गि इसके अतिरिक्त भी उपस्थित नहीं रहे। से छि इसका कार्रवाई में लाइने दिने जाये है पाणी कापिवाला को छि इसका बहुत हुयी गयी का। पाणी का गुणवत्ता पर ध्यान 11-12 12-12 का लीखा छि गये है निर्दिष्ट प्रमाण के सिवाय अन्य बाह्य दस्तावेज होने न्यायलय में हुनामा गये शमीन जोरिल छि गये। पाणी फुलन शुभ होय जम्मा के भुके हो है	५२/२३ उपस्थित विपकीय

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-विनोद कुमार(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
467 / 2022

दायर दिनांक
05.12.2022

निर्णय दिनांक
28.03.2023

उनवान

1. श्री बद्रीलाल पिता भैरूलाल तेली निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाडा।

— प्रार्थी

बनाम

1. श्री रामेश्वर पिता अमरचन्द तेली निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. श्री नारायण पिता मोहन नाई निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाडा।
3. श्री कन्हैयालाल पिता भैरूलाल तेली निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाडा।
4. श्री शंकर पिता जोधा जाट निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाडा।
5. श्री शान्तिलाल पिता भोलीराम पारीक निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाडा।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

— विपक्षीगण

उपस्थित:-अधिवक्ता प्रार्थीगण शोभागमल कुमावत
एक तरफा विपक्षीगण

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम:-

—: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सांगवा प0ह0 सांगवा भू0अ0नि0क्षेत्र कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2075-2078 के खाता संख्या 251 की अभिलिखत आराजियात आराजी संख्या 2271/565, 566, 567, 573, 574, 574/2 कुल किता 06 कुल रकबा 0.7966 हैक्टेयर प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काशत की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा-चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काशतकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 28.03.2023 को अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हें आराजियात जैर-बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन(पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तथा तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा सांगवा प0ह0 सांगवा भू0अ0नि0क्षेत्र कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत् 2075-2078 के खाता संख्या 251 की अभिलिखत आराजियात आराजी संख्या 2271/565, 566, 567, 573, 574, 574/2 कुल किता 06 कुल रकबा 0.7966 हैक्टेयर कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न होतो एवं मौके पर फसल खड़ी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका व मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000/- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 28.03.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(विनोद कुमार)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा